

लोकसभा निर्वाचन 2019

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ.35-42/2019/दो/सी-2

भोपाल, दि.10 मार्च,2019

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश,  
17, अरेरा हिल्स भोपाल।

विषय:-

लोक सभा चुनाव 2019 - पुलिस अधिकारियों की सेवाएं भारत  
निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने बाबत।

---00---

उपरोक्त विषयक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28(क)  
के अनुसार लोक सभा निर्वाचन,2019 के संचालन के लिए पदाभिहित पुलिस  
अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर भारत निर्वाचन आयोग को सौंपे जाने हेतु  
अधिसूचना दिनांक 10.03.2019 को जारी की गई है।

2- निर्देशानुसार अधिसूचना की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न  
प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ.आर.आर.भोंसले)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पु. कमांक एफ.35-42/2019/दो/सी-2

भोपाल, दि.10 मार्च,2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/नोडल अधिकारी पु0मु0  
भोपाल।
4. पुलिस महानिरीक्षक, निर्वाचन व्यय निगरानी, पुलिस मुख्यालय भोपाल  
की ओर अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

()

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, रविवार, दिनांक 10 मार्च 2019—फाल्गुन 19, शक 1940

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2019

क्र. एफ-35-42-2019-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, आगामी लोक सभा चुनाव 2019 के लिये निर्मांकित अधिकारियों की सेवाएं शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(ए) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

- (1) पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल
- (2) पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.